

AMU के अल्पसंख्यक दर्जे पर विवाद

प्रलिस के लयि:

AMU के अल्पसंख्यक दर्जे पर विवाद, [सर्वोच्च न्यायालय \(SC\)](#), [अनुच्छेद 30\(1\)](#), अल्पसंख्यक संस्थान, एस. अजीज बाशा बनाम भारत संघ

मेन्स के लयि:

AMU के अल्पसंख्यक दर्जे पर विवाद, विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लयि सरकारी नीतयों और हस्तक्षेप तथा उनकी रूपरेखा और कार्यान्वयन से उत्पन्न मुद्दे

[स्रोत: द हद्वि](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय \(SC\)](#) ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के अल्पसंख्यक दर्जे के संदर्भ में कहा कि किसी शैक्षणिक संस्थान का अल्पसंख्यक दर्जा मात्र इस आधार पर समाप्त नहीं किया जा सकता कि उसका प्रशासन **कानून (Statute)** द्वारा वनियमित है।

- सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष केंद्र ने कहा था कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को **केंद्रीय शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 (2012 में संशोधित) की धारा 3** के तहत आरक्षण नीति कार्यान्वयित करने की आवश्यकता नहीं है।

वशिवदियालय का अल्पसंख्यक दर्जा कब विवाद में आया?

- AMU का इतहास:**
 - अलीगढ़ मुस्लिम वशिवदियालय (AMU) की पृष्ठभूमि वास्तव में वर्ष 1875 में सर **सैयद अहमद खान** द्वारा स्थापित **मोहम्मडन एंग्लो-ओरिएंटल (MOA) कॉलेज** से शुरू होती है।
 - इसका प्राथमिक उद्देश्य उस अवधि के दौरान भारत में **मुस्लिम समुदाय के शैक्षणिक पछिडेपन** को दूर करना था।
 - वर्ष 1920 में संस्थान को **भारतीय विधान परिषद के एक अधिनियम के माध्यम से वशिवदियालय का दर्जा** प्राप्त हुआ। इस परिवर्तन ने MOA कॉलेज को अलीगढ़ मुस्लिम वशिवदियालय (AMU) में परिवर्तित कर दिया।
 - वशिवदियालय को MOA कॉलेज की सभी संपत्तयों तथा कार्य वसिसत में प्राप्त हुई। AMU अधिनियम का अधिकारिक शीर्षक "अलीगढ़ में एक शक्ति तथा आवासीय मुस्लिम वशिवदियालय को शामिल करने हेतु अधिनियम" था।
- विवाद की उत्पत्ति:**
 - AMU अधिनियम 1920 के समक्ष कानूनी चुनौतयों:** 1920 के AMU अधिनियम में वर्ष 1951 तथा वर्ष 1965 के संशोधनों की कानूनी चुनौतयों ने वर्ष 1967 में अलीगढ़ मुस्लिम वशिवदियालय (AMU) के अल्पसंख्यक दर्जे पर विवाद को उत्पन्न किया।
 - इसके मुख्य परिवर्तनों में **'लॉर्ड रेक्टर' के पद को 'वज़िटर' से परिवर्तित करना** शामिल है, जो भारत का राष्ट्रपति होगा।
 - गैर-मुस्लिम समुदाय के नागरिकों को वशिवदियालय न्यायालय का हसिसा बनने की अनुमति:** वशिवदियालय न्यायालय में सदस्यता को केवल मुसलमानों तक सीमित करने वाले प्राधानों को हटा दिया गया, जिससे गैर-मुसलमानों को भाग लेने की अनुमति मिल गई।
 - इसके अतिरिक्त इन संशोधनों ने कार्यकारी परिषद की शक्तयों को बढ़ाते हुए **वशिवदियालय न्यायालय के अधिकार को कम कर दिया**, जिससे न्यायालय अनविरय रूप से **'वज़िटर' द्वारा नियुक्त निकाय** बन गया।
 - सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी चुनौती मुख्य रूप से इस दावे पर आधारित थी कि मुस्लिम समुदाय ने AMU की स्थापना की थी तथा इसलिए इसे प्रबंधित करने का अधिकार उन्हें दिया जाना चाहिये।
 - सर्वोच्च न्यायालय का नरिणय:** वर्ष 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि मुस्लिम समुदाय द्वारा वर्ष 1920 में एक वशिवदियालय की स्थापना की पहल की गई कति इससे यह सुनिश्चित नहीं होता कि भारत सरकार द्वारा इसकी डगिरी की अधिकारिक मान्यता की गारंटी दी जाएगी।
 - एस अजीज बाशा बनाम भारत संघ मामले, 1967 में शीर्ष न्यायालय की पाँच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि **चूँकि AMU एक केंद्रीय वशिवदियालय था इसलिए इसे अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता है।**
 - न्यायालय के नरिणय में महत्वपूर्ण बडि यह था कि **AMU की स्थापना एक केंद्रीय अधिनियम के माध्यम से की गई थी**

ताकि इसकी डगिरी की सरकारी मान्यता सुनिश्चित की जा सके, यह दर्शाता है कि यह अधिनियम केवल मुसलमि अल्पसंख्यक के प्रयासों का संकलन नहीं था।

- अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि हालाँकि अधिनियम मुसलमि अल्पसंख्यक के प्रयासों का परिणाम हो सकता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि 1920 अधिनियम के तहत विश्वविद्यालय, मुसलमि अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित किया गया था।
- **अल्पसंख्यक चरतिर:** इस कानूनी चुनौती और उसके बाद वर्ष 1967 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने AMU के अल्पसंख्यक चरतिर की धारणा पर सवाल उठाया, यह तर्क देते हुए कि इसकी स्थापना तथा प्रशासन पूरी तरह से मुसलमि अल्पसंख्यक के प्रयासों में नहिती नहीं था जैसा कि शुरु में तर्क दिया गया था।
- AMU अधिनियम 1981 के माध्यम से भारत की केंद्र सरकार द्वारा AMU को "राष्ट्रीय महत्व के संस्थान" का दर्जा दिया गया था।

ववाद क्यों बना रहता है?

- सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद मुसलमानों ने राष्ट्रव्यापी वरिोध प्रदर्शन किया, जिससे वर्ष 1981 में AMU के अल्पसंख्यक दर्जे की पुष्टि करने वाला संशोधन हुआ।
 - जवाब में, केंद्र सरकार ने वर्ष 1981 में AMU अधिनियम में एक संशोधन पेश किया और AMU अधिनियम की धारा 2(I) और उपधारा 5(2)(c) को जोड़कर इसकी अल्पसंख्यक स्थिति की स्पष्ट रूप से पुष्टि की।
- वर्ष 2005 में, AMU ने मुसलमि उम्मीदवारों के लिये स्नातकोत्तर चकितिसा पाठ्यक्रम की 50% सीटें आरक्षित कीं। हालाँकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1981 के अधिनियम को रद्द करते हुए इस आरक्षण को पलट दिया।
 - अदालत ने तर्क दिया कि सर्वोच्च न्यायालय के एस. अजीज़ बाशा बनाम भारत संघ मामले के अनुसार, AMU अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में योग्य नहीं है।
- वर्ष 2006 में, केंद्र सरकार की एक याचिका सहित आठ याचिकाओं ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी।
 - वर्ष 2016 में, केंद्र सरकार ने अपनी अपील में कहा कि अल्पसंख्यक संस्थान की स्थापना एक धर्मनरिपेक्ष राज्य के सद्विधांतों के वरिपरीत है।
- वर्ष 2019 में तत्कालीन CJI रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने मामले को सात जजों की बेंच के पास भेज दिया था।

चल रहे AMU मामले में सर्वोच्च न्यायालय की क्या टपिणयियाँ हैं?

- कानून द्वारा वनियमित होने पर अल्पसंख्यक दर्जा नहीं खोएगा:
 - अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कानून द्वारा वनियमित किसी संस्था की अल्पसंख्यक स्थिति को कम नहीं करता है, इस बात पर जोर देते हुए कि संवधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा वरिशेष प्रशासन को अनवरिार्य नहीं करता है।
- धर्मनरिपेक्ष प्रशासन हो सकता है:
 - एक अल्पसंख्यक संस्थान को वरिशेष रूप से धार्मिक पाठ्यक्रम प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है और इसमें वभिन्न समुदायों के छात्रों को प्रवेश देते हुए एक धर्मनरिपेक्ष प्रशासन हो सकता है।
 - एक अल्पसंख्यक संस्थान को वरिशेष रूप से धार्मिक पाठ्यक्रम प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है और इसमें वभिन्न समुदायों के छात्रों को प्रवेश देते हुए एक धर्मनरिपेक्ष प्रशासन हो सकता है।
- प्रशासन में बहुसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यक दर्जे को प्रभावित नहीं करता:
 - शैक्षणिक संस्थानों की कुछ प्रशासनिक शाखाओं में बहुसंख्यक समुदाय के पदाधिकारियों की मौजूदगी जरूरी नहीं कि उनके अल्पसंख्यक चरतिर को कमजोर कर दे।

अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के वभिन्न मामले क्या हैं?

- TMA पाई वाद :
 - सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिये अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 30 के प्रयोजन के लिये धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यकों का नरिधारण राज्यवार आधार पर किया जाना चाहिये।
- बाल पाटलि वाद:
 - वर्ष 2005 में सर्वोच्च न्यायालय ने 'बाल पाटलि' वाद में अपने फैसले में 'टीएमए पाई' वाद के नरिणय का उल्लेख किया था।
 - कानूनी स्थिति स्पष्ट करती है कि अब से भाषायी और धार्मिक अल्पसंख्यक, दोनों की स्थिति नरिधारित करने की इकाई 'राज्य' होगी।
- इनामदार मामला:
 - इनामदार मामले, 2005 में सर्वोच्च न्यायालय के नरिणय के अनुसार राज्य पेशेवर कॉलेजों सहित अल्पसंख्यक और गैर-अल्पसंख्यक गैर-सहायता प्राप्त नजी कॉलेजों पर अपनी आरक्षण नीति लागू नहीं कर सकता है।
 - न्यायालय ने घोषणा की कि नजी, गैर सहायता प्राप्त शक्ति संस्थानों में आरक्षण असंवैधानिक है।

